संख्या-4 /2020/वे0आ0-2-267/दस-2020-124(सामान्य)/2017-18

प्रेषक,

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वित्त वेतन आयोग,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 21 अप्रैल, 2020**

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत वेतन आयोग के अन्तर्गत गठित समिति/प्रकोष्ठ हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जाँच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियाँ-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1,40,66,000/- (रूपये एक करोड़ चालीस लाख छाछठ हजार मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय मदवार फांट के अनुसार ही किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय का अधिकार प्रदान नहीं करता, अतः जहाँ कहीं आवश्यक हो व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये:--

(लाख रू0 में)

क्र0सं0	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1-	01- वेतन	60.00
2-	03- महँगाई भत्ता	15.00
3-	04- यात्रा व्यय	2.00
4-	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
5-	06- अन्य भत्ते	1.50
6-	07- मानदेय	5.00
7-	08- कार्यालय व्यय	2.00
8-	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
9-	12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	0.10
10-	13- टेलीफोन पर व्यय	0.50
11-	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00
12-	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00
13-	18- प्रकाशन	1.00
14-	29- अनुरक्षण	2.00
15-	42- अन्य व्यय	1.00
16-	45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00
17-	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00
18-	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00
19-	49- चिकित्सा व्यय	6.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

20-	51- वर्दी व्यय	0.06
21-	55- मकान किराया भत्ता	5.00
22-	56- नगर प्रतिकर भत्ता	1.00
23-	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20.00
	योग	**140.66**

(रूपये एक करोड़ चालीस लाख छाछठ हजार मात्र)

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक- ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जाँच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियाँ-0301-वेतन समिति का गठन'' की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-4/2020/वे0आ0-2-267(1)/दस-2020-124(सामान्य)/2017-18,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. कार्यालय उपयोगार्थ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0एल0 त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।